# (राजस्थान सरकार)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

**राजस्व वाद सं.– 03/2025** **जीसीएमएस नम्बर :– 2025/08**

1. राजपाल पुत्र बुद्वराम जाति जाट निवारी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

............अप्रार्थी

**दावा बाबत– धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 नक्शा दुरूस्ति**

–ःनिर्णयः– दिनांकः–

**(1). वादी का वादपत्र रहा किः–**

1. यह कि वाके ग्राम ईश्कपुरा पटवार हल्का मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि खाता संख्या 1 में दर्ज ख0 न0 451 रकबा 0.68 है0, किस्म गै0 मु0 नाला रकबा 0.01 है0, बंजड़ 2 रकबा 0.67 है0, ख0 न0 452 रकबा 0.25 है0, किस्म गै0 मु0 रास्ता रकबा 0.02 है0, बंजड़ 2 रकबा 0.23 है0, भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
2. यह कि ख0 न0 451 व 452 का सैटलमेन्ट के दौरान भू प्रबन्ध अधिकारीयों एवं राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवशं ख0 न0 451 रकबा 0.68 है0, में किस्म गै0 मु0 नाला का रकबा 0.01 है0, किस्म गै0, मु0 रास्ता का रकबा 0.67 है0, भूमि के स्थान पर किस्म गै0 मु0 नाला का रकबा तो 0.01 है0, सही दर्ज कर दिया गया लेकिन किस्म गै0 मु0 रास्ता रकबा 0.67 है0, के स्थान पर बंजड़ 2 रकबा 0.67 है0, गलत दर्ज कर दिया गया जो गलत है तथा ख0 न0 452 रकबा 0.25 है0, किस्म बंजड़ 2 रकबा 0.25 है0, के स्थान पर भू प्रबंध विभाग के अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों द्वारा गलत इन्द्राज ख0 न0 452 रकबा 0.25 है0, में किस्म गै0 मु0 रास्ता 0.02 है0 व किस्म बंजड़ 2 रकबा 0.23 है0 दर्ज कर दिया गया जो कि गलत दर्ज कर दिया गया है ऐसा करने का भू प्रबंध विभाग को कोई हक अधिकार नही है जो दुरूस्ती योग्य है।
3. यह कि राजस्व नक्शा में भी ख0 न0 451 रकबा 0.68 है0, कि आकृति भी रास्ता के रूप में पटटीनुमा अंकित है तथा ख0 न0 452 रकबा 0.25 है0 कि नक्शा में आकृति खेतनुमा है तथा ख0 न0 451 पर मौके पर सड़क बनी हुई है जो बिना किसी बाधा एवं रूकावट के मौके पर चालु है उक्त सड़क का निर्माण करीब 30 वर्ष पूर्व किया हुआ है तथा उससे पूर्व ख0 न0 451 की भूमि पर कच्चा रास्ता चालु था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.03.21 13:55:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

4. यह कि ख0 न0 451 की भूमि में से गुजरने वाली सड़क/रास्ता ग्राम सिंघाना से भोदन से ग्राम ईश्कपुरा होते हुए झुझारपुर की ओर आगे लगभग 10–12 ग्रामों से जुड़ता है उक्त रास्ता/सडक से उक्त ग्रामों के हजारों लोग व यातायात के साधन दिन भर गुजरते है।
5. यह कि ख0 न0 451 रकबा 0.68 है0, व ख0 न0 452 रकबा 0.25 है0, राजकीय भूमि है तथा ख0 न0 451 में अंकित किस्म बंजड़ 2 के स्थान पर गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने व ख0 न0 452 में अंकित किस्म गै0 मु0 रास्ता के स्थान पर बंजड़ 2 दर्ज करने पर भी भूमि राजकीय भूमि ही रहेगी। वह किसी व्यक्तिगत हीत अधिकार की नही होगी।
6. यह कि उक्त ख0 न0 451 पर बने रास्ता/सड़क का उपयोग हजारों लोगों का आवागमन का साधन होने के कारण राज्य सरकार द्वारा सड़क का निर्माण व अन्य कार्यो तथा सम्पूर्ण योजनाओं का लाभ आमजन को नहीं मिलने के कारण आमजन को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हो रही है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र के लिए आधार विवाद आवेदन पत्र में वर्णित भूमि गै0 मु0 रास्ता होने पर भी राजस्व रिकार्ड में बंजड़ 2 किस्म दर्ज करने से आमजन को मिलने वाली सम्पूर्ण राज्य सरकार की योजनाओं को लाभ नहीं मिलने एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा सड़क निर्माण कार्य में बाधा कारित करने से पैदा हुआ है।

**वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–**

कि वाके ग्राम ईश्कपुरा पटवार हल्का मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि ख0 न0 451 रकबा 0.68 है0, में दर्ज किस्म बंजड़ 2 रकबा 0.67 है0 के स्थान पर किस्म गै0 मु0 रास्ता रकबा 0.67 है0, दर्ज कर एवं ख0 न0 452 रकबा 0.25 है0, में दर्ज किस्म गै0 मु0 रास्ता रकबा 0.02 है0, के स्थान पर किस्म बंजड़ 2 रकबा 0.02 है0 + 0.23 है0, कुल रकबा 0.25 है0, दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एवं तहसीलदार बुहाना से 136 एल आर एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 15 दिनांक 16.01.2025 के द्वारा भिजवाई गई। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 259 दिनांक 23.01.2025 के द्वारा 136 एल आर एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली हुई रिपोर्ट तहसीलदार का अध्ययन [illegible] प्रार्थी ने तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट के अनुसार रिकार्ड दुरूस्ती हेतु [illegible] प्रभावित पक्षकार की तरफ से वकील प्रार्थी उपस्थित है किसी ने एतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.03.21 13:35:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमांबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1 जमाबन्दी सम्वत 1979 से 1980 नक्शा ट्रेस किश्तवार पेश किए गए।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

## –::आदेश::–

" न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ईश्कपुरा पटवार हल्का मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि ख0 न0 451 रकबा 0.68 है0, में दर्ज किस्म बंजड़ 2 रकबा 0.67 है0 के स्थान पर किस्म गै0 मु0 रास्ता रकबा 0.67 है0, दर्ज कर एवं ख0 न0 452 रकबा 0.25 है0, में दर्ज किस्म गै0 मु0 रास्ता रकबा 0.02 है0, के स्थान पर किस्म बंजड 2 रकबा 0.02 है0 + 0.23 है0, कुल रकबा 0.25 है0, नक्शा दुरस्त कर तदानुसार नक्शा व राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर तदानुसार नक्शा दुरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 259 दिनांक 23.01.2025 तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श ''ब'' के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो।

(सुमन देवी, II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.03.21 13:55:18 IST
Reason: SelfAttested